प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : **UPFS/2025/164703/BJN/BIJNOR/1198/CFO**
दिनांक : **09-07-2025**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **S K INTER NATIONAL SCHOOL AT VILL AND POST FEENA TEHSIL CHANDPUR DISTT BIJNOR** पता **450 451,NOORPUR TO AMROHA ROAD,VILL FEENA** तहसील - **CHANDPUR** प्लाट एरिया **6010 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1360.45** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BLOCK	2	0	7.90 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **S K INTER NATIONAL SCHOOL AT VILL AND POST FEENA TEHSIL CHANDPUR DISTT BIJNOR** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **11-07-2025** को भवन स्वामी/ भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **PRASHANT KUMAR** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **12-07-2025** से **11-07-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **S K INTER NATIONAL SCHOOL AT VILL AND POST FEENA TEHSIL CHANDPUR DISTT BIJNOR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **S K INTER NATIONAL SCHOOL AT VILL AND POST FEENA TEHSIL CHANDPUR DISTT BIJNOR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : उक्त भवन वर्ष 2002 का निर्मित है । उक्त भवन को अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र(पूर्णता(कंप्लीशन)अनापत्ति प्रमाणपत्र शासनादेश सं0-18/छ:-पु०-8-2022/905-34-201टी०सी०दिनांक07-01-2022एवं उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली- 2024 के उपबन्धों एवं FSSO चांदपुर की संस्तुति रिपोर्ट के आधार पर निर्गत किया जाता है I अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करे । उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के नियम 40(5) के अनुसार सेटबैक का आंकलन नहीं किया जा रहा है I सेटबैक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा I

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : **12-07-2025**
स्थान : **BIJNOR**

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
AJAY KUMAR SHARMA
D8EA1A49D02BE05517D3180119D7E88BB2365486
12-07-2025